प्रेषक:

निदेशक सेकण्डरी शिक्षा हरियाणा ।

सेवा में

जिला शिक्षा अधिकारी,
सोनीपत ।

यादी क्रमांक 4/5-96- से0शि0 (1)
दिनांक: चण्डीगढ़

विषय: 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली शुरू करने की अनुमति प्रदान करना ।

====

विभागीय विद्यालय निरीक्षण कमेटी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट/सिफारिश को देखते हुए जे0पी0 जैन हाई स्कूल, सोनीपत -- को 1.4.97 ~~xxxxxxxxxxxxx~~ से 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली में जमा 1 तथा जमा 2 कक्षाओं में आर्टस, कॉमर्स ~~तथा विज्ञान संकाय~~ प्रारम्भ करने की स्थाई अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली हेतु राज्य सरकार/विभाग से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता/अनुदान व पद इत्यादि इत्यादि की मांग नहीं करेंगे और इस बारे नार्म अनुसार छात्र/छात्राओं को वांछित सभी आवश्यक साधन/सुविधाएं अपने खर्चे पर ही उपलब्ध करायेंगे ।

2. 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली की सम्बन्धित कक्षाओं के लिए प्राध्यापकों की नियुक्ति विभागीय योग्यता अनुसार अर्थात केवल उन्हीं को प्राध्यापक पद पर लगाया जाये जिन्होंने एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0 काम के सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों तथा गृह-शिक्षा के लिए विभागीय शर्तों की भी पालना की जायेगी । इसी प्रकार अन्य पदों पर नियुक्तियां भी हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं/शर्तों के अन्तर्गत की जायेगी ।

3. सभी छात्र/छात्राओं के लिए फर्नीचर इत्यादि का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये ।

4. जमा एक तथा दो कक्षाओं के लिए नियुक्ति नियमानुसार की जायेगी तथा प्रबन्धक उनको पूरा वेतन अपने साधनों से भुगतान करेंगे, इसके लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जायेगी ।

5. विद्यालय को हरियाणा एजुकेशन कोड की सभी शर्तों का पालन करना होगा ।

6. 10 जमा 2 शिक्षा प्रणाली में केवल वही विषय अथवा संकाय शुरू किये जायेंगे जिनकी टीचिंग/प्रैक्टिकल के लिए आवश्यक साधन/सुविधायें विद्यालय में उपलब्ध हों तथा जिनकी अनुमति विभाग द्वारा दी गई हो ।

7. सरकार/विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय-2 पर जारी हिदायतों/निर्देशों का पालन किया जायेगा ।

8. सरकार की हिदायतों अनुसार आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा ।

9. प्रवेश हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा जारी हिदायतों अनुसार किया जायेगा ।

10. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि विद्यालय के पुस्तकालय में प्रति छात्र 6 के हिसाब से पुस्तकें उपलब्ध हों ।

11. स्टाफ को वेतन बैंक चैक के द्वारा ही दिया जायेगा ।

12. हरियाणा शिक्षा विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही विद्यालय में पढ़ाई जायेंगी ।

13. संस्था में कार्यरत स्टाफ का छः मास के वेतन के बराबर बकाया राशि जिला शिक्षा अधिकारी के नाम बैंक में फिक्स डिपाजिट करवाई जायेगी ।

14. विभाग द्वारा अनुमति किसी भी समय नोटिस देकर वापिस ली जायेगी ।

ह०/-

उप निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा ।

पृ० क्रमांक: उपर्युक्त   दिनांक: 24-6-97

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रबन्धक, जे०पी० जैन हाई स्कूल, मॉडल टाउन हाउसिंग सोसाईटी, सोनीपत ।
2. सचिव, हरियाणा xxxxx विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।

24/6/97

उप निदेशक सैकण्डरी शिक्षा
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा ।

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

आदेश क्रमांक 13/148-93 वि-1(5)

दिनांक चण्डीगढ़: 22-9-93

जे०पी० जैन हाई स्कूल देवडू रोड़ सोनीपत को दिनांक 1-4-93 से दसवीं तक की स्थाई मान्यता निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1- विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल अपने ही साधनों से चलायेंगे और ग्रान्ट की मांग नहीं करेंगे ।

2- भावी नियुक्तियों के समय आरक्षण का ध्यान रखेंगे ।

3- एजूकेशन कोड में अंकित सभी शर्तों का पूर्णतया पालन करेंगे ।

एस०के० जोशी
अपर निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ़ ।

पृष्ठांकनक्रमांक सम दिनांक चण्डीगढ़ 22-9-93

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1- जिला शिक्षाअधिकारी सोनीपत ।

2- सभी जिला शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य ।

3- चेयरमेन, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ।

4- अधीक्षक एनएफसी शाखा(स्थानीय)

5- अधीक्षक सैकण्डरी शिक्षा ।

6- आंकड़ा अधिकारी(स्थानीय)

7- चेयरमैन, जे०पी० जैन हाई स्कूल देवडू रोड़ सोनीपत ।

8- विद्यालय-1 शाखा के सहायक 2 तथा 6

उप निदेशक मान्यता प्राप्त विद्यालय
कृते:- निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

GOVERNMENT OF HARYANA

Office of
Director School Education

From Darkness lead me to Light

Off.: 30 Bays Building, 3rd Floor, Sector 17-B, Chandigarh - 160017 (India) Tel: 91(0172)-2701333 Fax: 91(0172)-2701347
कार्यालय: 30 बेज बिल्डिंग, तृतीय तल, सैक्टर 17-बी चण्डीगढ –160017 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2701333 फैक्स: 91 (0172) 2701347
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

आदेश कमांक **30/11-10 PS (3)** दिनांक, चण्डीगढ़ 3.12.10

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम–2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए **J.P. Jain Sr. Sec. School, Sonepat** को कक्षा पहली से 12वीं तक केन्द्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतू अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय स्थाई मान्यता आदेश कमांक 13/148-93 वि0 1 (5) दिनॉक 22–9–93 upto matric, आदेश कमांक 4/5-96 सै.शि. (1) दिनांक 24–6–97 upto 10+2 Level (आर्टस एवं कॉमर्स संकाय) एवं आदेश कमांक तथा 4/5-96 सै.शि. (1) दिनांक 15–9–99 (विज्ञान संकाय) में निहित शर्तो तथा समय–समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापस लिया समझा जाएगा। विद्यालय का कोड़ नं0 **2007/SNP/12th/BOSE/2010** है।

विजेन्द्रा कुमार
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृष्ठाकन कमांक सम दिनांक, चण्डीगढ़ 17-12-2010

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1. प्रबन्धक समिति **J.P.Jain High School, Managing Society, Sonepat.**
2. सचिव कैन्द्रीय माध्यमिक विद्यालय शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र–2, कम्युनिटी सैन्टर, प्रीत विहार, दिल्ली।
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, **Sonepat.**
5. **Principal, J.P. Jain Sr. Sec. School, Sonepat.**
6. टैक्नोलोजी आफिसर (लोकल)।

(हस्ताक्षर)
कृते अधीक्षक पी.एस.
कृतेः निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

Principal
J.P. Jain Sr. Sec. School
Sonepat